महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित

रायपुर (आरएनएस)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। यह शोक 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान राज्य में कोई भी सांस्कृतिक या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि समस्त सरकारी भवनों और उन स्थानों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां ध्वज आधे झुके रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री ओपी चौधरी के सभी निर्धारित दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं।

28 और 29 दिसंबर को होने वाली पंचायत आरक्षण की कार्यवाही निरस्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रवर्गवार एवं महिलाओं के आरक्षण हेतु 28 और 29 दिसंबर 2024 को कलेक्टर कार्यालय व ब्लॉक कार्यालयों के सभाकक्ष में होने वाली कार्यवाही निरस्त किया गया है, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य, तीनों जनपद पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य एवं तीनों ब्लॉक सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला के ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच के पद का आरक्षण किया जाना था।

सारंगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के आँगनबाड़ी सहायिका पद की अंतिम मूल्यांकन सूची प्रकाशित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत आँगनबाड़ी सहायिका हेतु आंगनबाडी केन्द्र झलमला, अचानकपाली-2, जवाहरनगर, दमदरहा-2. भीमखोलिया, कंवरगुड़ा, बेहराचुंवा, खैरपाली, जोगीडीपा, देवसर, छिंचपानी, सेंधमाल, जोगनीपाली, जिल्दी 2 एवं दानसरा-1 के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनो का मूल्यांकन समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरांत अनतिंम मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जाकर प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया है। इस सूची की जानकारी सारंगढ़ के कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना, जनपद पंचायत और संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।

श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से अब तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 01 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है। ऐसे निर्माण श्रमिक 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीयन व नवीनीकरण के लिए श्रमेय जयते मोबाइल एप्प, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र, विभागीय वेबसाइट या च्वॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसम्बर 2024 के पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र के दूरभाष नम्बर 0771-3505050 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिलाबदर का आरोपी अवैध क्षेत्र में घुमते गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। वाल्मिकी नगर कबीरनगर में जिलाबदर आरोपी घुमते हुए पाया गया। मामले में कबीरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आसु क्षत्री 22 वर्ष को रायपुर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर किया गया था, जो बिना अनुमति के अवैध क्षेत्र में घुमते हुए पाया गया। मामले में कबीरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

एनटीपीसी लारा पर कार्यरत सीआईएसएफ जवान से हुए ऑनलाईन ठगी मामले में बिहार, झारखण्ड से 2 आरोपियों को लिया गया हिरासत

- सायबर सेल एवं पुसौर पुलिस की संयुक्त और सटीक प्लानिंग से पकड़े गए आरोपी
- प्लाट लोन दिलाने के नाम पर की गई थी ठगी, यूनो एप डाउनलोड कराने के नाम पर दिया गया था झांसा
- ओटीपी एवं खाते से 02 किस्तो में पार किए 3,85,000 रुपए

रायगढ़

एनटीपीसी लारा में रहने वाले सी.आई.एस.एफ प्र.आर. ज्योति प्रकाश सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2023 को भारतीय स्टेट बैंक पुसौर से 3,51,000 रूपये गोल्ड लोन लिया था। दिनांक 20.10.2023 को सुबह मोबाईल नंबर 9823068781, 8310589984 के धारक द्वारा बैंक से प्लाट लोन दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर यूनो बैंक एप डाउन लोड कराने के नाम पर ओ.टी.पी ले लिया गया एवं 02 किस्तो में 385000 रूपये ठग लिये गये। जिस पर थाना पुसौर में अप.क. 260/24 धारा 420 कायम किया गया साथ ही सायबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत् दर्ज की गई जिससे रूपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किये गये थे। जांच पर सायबर सेल द्वारा खातों एवं ठगी में उपयोग किये गये मोबाईल नंबर का डिटले खंगाला गया जिसमें सीम-सिद्धराम बस्वराज मैत्री, कर्नाटका सर्कल का, सुरजीत पात्रा, कसेर मेरी वेस्टबंगाल सर्कल का होना पाया गया व दोनों सीम बिहार सर्कल में एक्टिव होना पाये गये जिसका लोकेशन हुकरी गांव थाना करमाटांड जिला जामतड़ा लोकेशन प्राप्त हुआ।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के द्वारा सायबर के पुराने प्रकरणों में आरोपियों की पतासाजी हेतु निर्देश दिये जाने पर सायबर सेल डी.एस.पी अभिनव उपाध्याय एवं उनकी टीम द्वारा लगातार पुराने सायबर अपराधों के प्रकरणों का एनालिसिस किया जा रहा था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम एवं उप पुलिस अधीक्षक सायबर अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर सायबर सेल की एक टीम टेक्निकल एनालिसिस में लगाई गई एवं थाना प्रभारी आर्शिवाद रहटगांवकर के नेतृत्व में सउनि नरेन्द्र सिदार जूटमिल, प्र.आर 563 दिलीप भानु थाना कोतवाली, प्र.आर 433 अमित तिर्की थाना पुसौर प्र.आर. 196 करूणेश राय थाना कोतरारोड प्र.आर. 146 जागेश्वर प्रसाद दीगस्कर, प्र.आर. 107 हेमप्रकाश सोन, तमनार, आर. 444 महेश पण्डा, आर. 627 प्रशांत पण्डा सायबर सेल, आर. 32 पुष्पेन्द्र जाटवर सायबर सेल, आर. 207 शशीभुषण साहू जूटमिल, आर. 365 कमलेश यादव कोतवाली, आर. 366 टीकेश्वर यादव कोतरारोड़ आर. 194 ठंडाराम गुप्ता पुसौर से 14 सदस्यी टीम बिहार/झारखण्ड रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा लोकेशन के आधार पर उस क्षेत्र की रेकी की गई आरोपियों द्वारा मोबाईल बंद एवं चालु किया जा रहा है। टीम ने बड़ी ही सुझबुझ से आरोपियों को जामतड़ा करमाताङ से गिरफतार किया। आरोपियों द्वारा घटना समय के सीम को बदल दिया गया था किन्तु हैण्डसेट पुराना ही प्रयोग किया जा रहा था हैण्ड सेट के आई.एम.ई.आई को सर्च करने पर उसमें 02 सीम नंबर 9031255878, 6287353703 चलते पाये गये जिसे आरोपियों से जप्त किया गया है।

आरोपियो का नाम

1. जमुरूद्दीन अंसारी पिता पेगाम अंसारी उम्र 21 वर्ष निवासी ऑकरी थाना करमाटाड जिला जामतड़ा झारखण्ड
2. बहारूद्दीन अंसारी पिता एनुल मियां उम्र 30 वर्ष निवासी ऑकरी थाना करमाटाड जिला जामतडा झारखण्ड

जप्त सामग्री-

03 मोबाईल, 02 सीम नंबर 9031255878, 6287353703 राशि 8000 रूपये, पंजाब बैंक का ए.टी.एम कार्ड, पेन कार्ड जप्त किया गया।

पीएम आवास में लापरवाही बरतने पर होगी संबंधितों पर कार्यवाई-सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव

- पीएम आवास कार्य में लाएं प्रगति, बेहतर कार्य करने वाले सचिव एवं कर्मचारी होंगे पुरस्कृत

रायगढ़

सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। जिसमें रायगढ़ जिला पंचायत अंतर्गत जिले के समस्त 7 विकास खंडों के चयनित 63 से अधिक ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम किस्त प्राप्त हो चुके है, किंतु द्वितीय किस्त हेतु जियो टैग की प्रगति 50 प्रतिशत से कम हुआ है। उन्होंने पीएम आवास के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी और सचिव एवं नोडल अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता का कार्य है, सभी तकनीकी सहायक फील्ड पर भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में प्रगति लाए। उन्होंने सभी जनपद पंचायत के सीईओ को नियमित मानिटरिंग करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित मैदानी अमले पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीईओ जिला पंचायत यादव ने अच्छे कार्य करने वाले सचिवों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की बात कही। उन्होंने सभी ब्लॉक के डीईओ, एडीईओ, एसडीओआरईएस के द्वारा किए जाने वाले नियमित पंचायत भ्रमण की भी समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिले के सभी विकास खंडों के एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

केसीसी लोन के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

- आरोपियों से नकद रुपए, एटीएम कार्ड जब्त कर घरघोड़ा पुलिस ने अमानत में खयानत के अपराध में आरोपियों को भेजा न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने केसीसी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 4.10 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने नगदी, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

मामला इस प्रकार है

ग्राम रोडोपाली निवासी पुरषोत्तम राठिया (40 वर्ष) ने कल थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपने पिता की कृषि भूमि के लिए केसीसी लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। करीब दो माह पहले रवि महंत नामक व्यक्ति उनके घर आया और खुद को एक्सिस बैंक रायगढ़ का एजेंट बताते हुए लोन दिलाने का आश्वासन दिया।

रवि महंत ने एक्सिस बैंक शाखा भेण्ड्रा सिटी घरघोड़ा से रु.4,40,000 का केसीसी लोन स्वीकृत कराया। लोन की राशि पुरषोत्तम के खातों में जमा की गई। लेकिन जब पुरषोत्तम ने लोन वापस करने की बात कही, तो रवि ने सभी बैंक दस्तावेज, पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक अपने पास जमा करवा लिए।

इसके बाद रवि महंत ने एटीएम और नेट बैंकिंग के जरिए रु.4.10 लाख की राशि अलग-अलग तरीकों से निकाल ली। इसमें से रु.3 लाख रघुवीर राठिया के खाते में ट्रांसफर किया गया।

पुलिस जांच एवं कार्रवाई:

प्रार्थी की शिकायत पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 371/2024, धारा 316(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी रवि महंत और ग्राम रोडोपाली के सरपंच रघुवीर राठिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया।

जब्त संपत्ति:

1. रवि महंत से रु.1,000 और एटीएम कार्ड।
2. रघुवीर राठिया से रु.1,200।

कुल रु.2,200 की नगदी और अन्य सामग्री बरामद की गई।

आरोपियों का विवरण:

1. *रविदास महंत* (28 वर्ष), पिता जुगनूदास महंत, निवासी पेंड्री, थाना हसौद, जिला सक्ति।
2. *रघुवीर राठिया* (55 वर्ष), पिता स्व. रायसिंह राठिया, निवासी रोडोपाली, थाना तमनार।

आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

टीम की भूमिका:

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम तथा एसडीओपी धर्म जयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर इस कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक रामकिंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह एवं हमराह स्टाफ की तत्परता से कार्रवाई कर ठगी के इस मामले को सुलझाया। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों को जागरूकता और ठगों के खिलाफ भरोसा मिला है।

संभाग आयुक्त महादेव कावरे निरीक्षण में पहुंचे रायगढ़

- कलेक्ट्रेट के विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण
- मेडिकल कालेज के प्रबंध कारिणी समिति की ली बैठक

रायगढ़

संभाग आयुक्त महादेव कावरे आज रायगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कार्यालय में विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया व अधिकारी-कर्मचारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। यहां उन्होंने तहसीलदार कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा, जिला चिकित्सालय, सामान्य निर्वाचन, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, खनिज शाखा, स्थानीय निर्वाचन, रिकार्ड रूम, वित्त शाखा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव इस दौरान साथ रहे।

संभाग आयुक्त कावरे ने सभी कार्यालयों में कैश बुक को अद्यतन करने व नियमित रूप से एन्ट्री करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त कावरे ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजस्व प्रकरणों में 3 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कर्मचारियों के टेबल में नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा, परिवार सूची, नॉमिनेशन, सेवा सत्यापन में डीडीओ का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करवाकर अद्यतन करने के निर्देश दिए।

संभाग आयुक्त कावरे ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान वहां मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा मरीजों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मरीजों की बेडशीट मेडिकेटेड होनी चाहिए तथा अस्पताल से मरीजों को दवाईयों का नियमित वितरण किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में ओपीडी, आई वार्ड, केजुअल्टी, डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण किया। जिला चिकित्सालय में सभी रिकार्ड को अद्यतन रखने व कैशबुक नियमित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए।

संभाग आयुक्त कावरे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेडिकल कालेज के प्रबंध कारिणी समिति की बैठक ली। जिसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें स्वशासी मद से रेडियोग्राफी विभाग में कर्मचारियों को रखे जाने पर चर्चा की गई। मेडिकल कालेज अस्पताल के लिए ट्रॉजिट हॉस्टल के निर्माण व रख-रखाव के संबंध में भी चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त कावरे ने मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के समुचित इंतजाम रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में दवाईयों की उपलब्धता के साथ उपचार संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मेडिकल कालेज डीन डॉ.विनीत जैन, सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी, प्रभारी अपर कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सट्टा पट्टी पर कोतरारोड पुलिस की कार्यवाई, सट्टा पट्टी और नकद रुपए के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

कोतरारोड पुलिस ने सट्टा पट्टी पर कार्रवाई करते हुए आज भगवानपुर CMO तिराहा के पास एक युवक को सट्टा लिखते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टा पर्ची, पेन और नगदी जब्त की है।

थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भगवानपुर तिराहा पर कार्रवाई की। मौके पर दिलेश्वर भारती (25 वर्ष), निवासी रामभाठा, थाना कोतवाली, रायगढ़ को सट्टा पर्ची लिखते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी से

1. सट्टा अंक और रकम लिखी हुई एक कागज पर्ची।
2. एक डॉट पेन।
3. नगदी रु.2,270 जप्त किया गया है। आरोपी दिलेश्वर भारती के खिलाफ धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के साथ उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक शंकर राम कालो और आरक्षक चंद्रेश पांडेय शामिल थे।कोतरारोड पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी देकर सहयोग करें।

धारदार तलवार के साथ युवक गिरफ्तार

राजनांदगांव-रायपुर ।
आरएनएस

दिनांक 26/12/2024 को प्रार्थी इंद्रजीत यादव पिता माताफेर यादव उम्र 41 वर्ष साकिन मुदलियार कॉलोनी वार्ड नं. 07 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 26.11.2024 को रात्रि 21:05 बजे घटना स्थल त्रिपदा फैशन के नीचे जय स्तंभ चैक राजनांदगांव में स्थित इसके मामा राम बहादूर यादव के फल दुकान के पैसे का हिसाब किताब कर रहा था, उसी दौरान एक लडक्रा आया और बिना किसी कारण के इसे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मार दूंगा बोलकर हथियार से हमला किया, जिससे बांये हाथ के बांह में चोट आया तथा मामा राम बहादूर के साथ झूमाझपटी करने से बांये पैर के पिडली में चोट आया, उसके बाद भाग गया, भागते समय वह व्यकित अपना नाम चार्ली है बोल रहा था बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 779/24 धारा 296, 115 (2), 351 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। कायमी से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृत्व मे आरोपी के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिवम सिन्हा उर्फ चार्ली पिता रिखी राम सिन्हा उम्र 25 साल साकिन शंकरपुर वार्ड नं. 09 ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को रात्रि में ही घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार तलवार जैसे हथियार को जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट समाहित किया गया। आरोपी को आज दिनांक 27.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड मे भेजा गया। माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने से जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, प्र0आर0 शंभूनाथ द्विवेदी, प्र0 आर0 जी सिरिल, आरक्षक प्रदीप जायसवाल, भुनेश्वर जायसी, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

महतारी वंदन से हुनर और मेहनत को मिली पहचान

- रेवती ने सिलाई कार्य को बनाई व्यवसाय, आर्थिक स्थिति हो रही मजबूत

रायगढ़

राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रही है। ये उन महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही जो स्वयं का कार्य प्रारंभ कर अपना सपना पूरा करना चाहती है। ऐसी ही उदाहरण रेवती यादव है।

रायगढ़ जिले के विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम-सोनपुर के एकीकृत बाल विकास परियोजना कापू निवासी रेवती यादव जो कि एक दुकान में कपड़ा सिलाई एवं कढ़ाई का काम करती थी। इस कार्य से उन्हे प्रतिमाह एक सीमित आय प्राप्त होती थी। जिससे वह किसी तरह से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी। रेवती यादव हमेशा से चाहती थी कि वह अपने कपड़ा सिलाई एवं कढ़ाई के काम को अपना स्वयं का एक दुकान खोलकर व्यवसाय के रूप में संचालित करें, परन्तु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण जो संभव नहीं हो पा रहा था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नेतृत्व में वर्ष 2024 में महतारी वंदन योजना की प्रारम्भ की गई। जिसके पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तनुजा यादव के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में रेवती यादव का महतारी वंदन योजना फार्म भरा गया। जिसके पश्चात माह मार्च 2024 से 1000 प्रति माह राशि प्राप्त होने लगा। जिसे वह अपने बैंक खाता में बचत करती रही। माह दिसम्बर 2024 तक राशि प्राप्त होने पर रेवती के पास 10 हजार रूपये बचत होने पर वह अपने लिये कपड़ा सिलाई की मशीन के साथ अन्य सामान खरीदकर घर से कार्य करने लगी है। उनके हुनर व मेहनत को महतारी वंदन योजना ने उड़ान भरने के कार्य किया है। जिससे रेवती यादव की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। रेवती यादव का कहना है कि यह सब महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त होने वाली सहायता राशि से हो पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का महतारी वंदन योजना के संचालन कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद दी है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480